

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
(WOMEN EMPOWERMENT CELL)
Pt. RAVI SHANKAR SHUKLA LANE, K.G. MARG, NEW DELHI-110001

F. 59(240)/DSW/RGO/98/Part III/- 28213-223

Dated- 18 OCT 2018

NOTIFICATION

F. 59(240)/DSW/RGO/98/Part III/- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) 8B of Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961) read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification number S.O. 1560 dated the 29th June, 1961 and in suppression of notification numbers F.59(240)/DSW/RGO/98 dated the 3rd September, 1998 and F.59(240)DSW/RGO/98/44-64 dated the 4th January, 2001 except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Lt. Governor is hereby pleased to designate the District Officers of the Department of Women and Child Development, Govt. of National Capital Territory of Delhi as 'Dowry Prohibition Officers' for implementing the provisions of the said Act, in respect of areas of the National Capital Territory of Delhi as specified below, namely:

1	2	3
S. No.	Designation of Officers	Area of Jurisdiction
1	The District Officer (East), Department of Women and Child Development, Salai Kadhai Kendra, Block-10, Geeta Colony, Delhi-110031	District East
2	The District Officer (North East), Department of Women and Child Development, Sanskar Ashram, Opp. G.T.B Hospital, Dilshad Garden, Delhi-110095	District North East
3	The District Officer (New Delhi), Department of Women and Child Development, Pt. Ravi Shankar Shukla Lane, K.G. Marg, New Delhi-110001	District New Delhi
4	The District Officer (North), Department of Women and Child Development, Near Super Bazaar, 20-21, Gulabi Bagh, New Delhi-110007	District North
5	The District Officer (North West-I), Department of Women and Child Development, Silai Kendra, F-Block, Mangolpuri, New Delhi-110083	District North West - I
6	The District Officer (North West-II), Department of Women and Child Development, Sewa Kutir Complex, Kingsway Camp, Delhi-110009	District North West - II
7	The District Officer (South), Department of Women and Child Development, Kasturba Niketan, Near Jal Vihar Terminal, Lajpat Nagar, Delhi-110024	District South
8	The District Officer (South West), Department of Women and Child Development, C-22-23, Udyog Sadan, Qutub Institutional Area, New Delhi-110067	District South West

9	The District Officer (West), Department of Women and Child Development, Nirmal Chhaya Complex, Jail Road, Hari Nagar, New Delhi-110064	District West
10	The District Officer (Central), Department of Women and Child Development, GLNS Complex, Delhi Gate, New Delhi-110002	District Central

By order and in the name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,


(P.C. Jain)
Director

F. 59(240)/DSW/RGO/98/Part III/- 28213 - 223

Dated- 18 OCT 2018

Copy for information:-

1. The Principal Secretary to the Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi, Raj Niwas Marg, Civil Lines, Delhi 110054.
2. The Secretary, Department of Women and Child Development, Govt. of NCT of Delhi.
3. The Commissioner, Delhi Police, Police Head Quarters, IP Estate, New Delhi-110002.
4. The Secretary, Law, Govt. of NCT of Delhi, 8th level, C-wing, Delhi Secretariat, Players Building, I.P. Estate, New Delhi – 110002.
5. The Divisional Commissioner, Revenue Department, Govt. of NCT of Delhi, 5, Shamnath Marg, Delhi- 110054.
6. All District and Sessions Judges, Delhi.
7. All District Officers, WCD, Govt. of NCT of Delhi.
8. All ACPs, Crime against Women Cell, Govt. of NCT of Delhi.
9. OSD to Minister of Women and Child Development, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, Delhi.
10. OSD to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, Delhi.
11. Dy. Secretary, G.A.D. Delhi Secretariat, Delhi (2 copies each in English and Hindi) for publication in Part IV of Delhi Gazette Extraordinary.


(P.C. Jain)
Director

(दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग ४ में प्रकाशनार्थ)

महिला एवं बाल विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

१ ए, पं० रवि शंकर शुक्ला लेन, के जी मार्ग, नई दिल्ली ११०००१

सं० एफ. ५९ (२४०)/डीएसडब्ल्यू/आरजीओ/९८/पार्ट ३- १४२१३ - २१३

दिनांक:-

18 OCT 2018

अधिसूचना

सं० एफ. ५९ (२४०)/डीएसडब्ल्यू/आरजीओ/९८/पार्ट ३- दहेज निषेध अधिनियम 1961 (1961 की 28) की धारा 8बी की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना सं० एस.ओ. 1560 दिनांक 29 जून 1961 को सहपाठित करते हुए अधिसूचना संख्या एफ. 59 (240)/डीएसडब्ल्यू/ आरजीओ/98 दिनांक 03 सितम्बर 1998 एवं एफ. 59 (240)/डीएसडब्ल्यू/आरजीओ/98/44-64 दिनांक 04 जनवरी 2001 को निरस्त करते हुए, इस निरस्तीकरण से पहले किये जाने वाले कार्यों का सम्मान करते हुए एवं न किये गये कार्यों को भी छोड़ते हुए, माननीय उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जिला अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु 'दहेज निषेध अधिकारी' के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निम्नानुसार नियुक्त किया जाता है :-

1	2	3
क्र०सं०	नियुक्त अधिकारी	क्षेत्राधिकार
१	जिला अधिकारी(पूर्व), महिला एवं बाल विकास विभाग, सिलाई कढ़ाई केन्द्र, ब्लॉक-१०, गीता कॉलोनी, दिल्ली ११००३१	जिला पूर्व
२	जिला अधिकारी(उत्तर पश्चिम), महिला एवं बाल विकास विभाग, संस्कार आश्रम, जी.टी.बी. अस्पताल, दिलशाद गार्डन, दिल्ली ११००९५	जिला उत्तर पश्चिम
३	जिला अधिकारी(नई दिल्ली), महिला एवं बाल विकास विभाग, पं० रवि शंकर शुक्ला लेन, के. जी. मार्ग, दिल्ली ११०००१	जिला नई दिल्ली
४	जिला अधिकारी(उत्तर), महिला एवं बाल विकास विभाग, नियर सुपर बाजार, २०-२१, गुलाबी बाग, नई दिल्ली ११०००७	जिला उत्तर
५	जिला अधिकारी(उत्तर पश्चिम १), महिला एवं बाल विकास विभाग, सिलाई केन्द्र, एफ ब्लॉक, मंगोलपुरी, नई दिल्ली ११००८३	जिला उत्तर पश्चिम १
६	जिला अधिकारी(उत्तर पश्चिम २), महिला एवं बाल विकास विभाग, सेवा कुटीर कॉम्प्लेक्स, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली ११०००९	जिला उत्तर पश्चिम २
७	जिला अधिकारी(दक्षिण), महिला एवं बाल विकास विभाग, कस्तूरबा निकेतन, नियर जल विहार टर्मिनल, लाजपत नगर, दिल्ली ११००२४	जिला दक्षिण
८	जिला अधिकारी(दक्षिण पूर्व), महिला एवं बाल विकास विभाग, सी २२-२३, उधोग सदन, कुतुब इस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली ११००६७	जिला दक्षिण पश्चिम
९	जिला अधिकारी(पश्चिम), महिला एवं बाल विकास विभाग, निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स, जेल रोड, हरि नगर, नई दिल्ली ११००६४	जिला पश्चिम
१०	जिला अधिकारी(मध्य), महिला एवं बाल विकास विभाग, जीएलएनएस कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली ११०००२	जिला मध्य

माननीय उपराज्यपाल दिल्ली
द्वारा नामित एवं आदेशित



(पी.सी. जैन)

निदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित:-

१. उपराज्यपाल के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
२. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
३. आयुक्त, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली ११०००२
४. सचिव, कानून, न्याय एवं विधायी मामलात विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली
५. संभागीय आयुक्त, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, ५ श्यामनाथ मार्ग, दिल्ली ११००५४।
६. सभी माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली
७. सभी जिला अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
८. सभी सहायक आयुक्त पुलिस(क्राइम अगेन्सट वुमेन सेल), दिल्ली
९. ओएसडी- माननीय मंत्री महोदय महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सचिवालय, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली ११०००२
१०. ओएसडी-मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
११. उप सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को द्विभाषिक प्रतिलिपि दिल्ली राजपत्र-भाग -४ मे प्रकाशन हेतु, प्रकाशित राजपत्रीय अधिसूचना की प्रति इस कार्यालय को कार्यालय उपयोग हेतु प्रेषित किये जाना सुनिश्चित करे।
१२. कार्यालय अभिलेख हेतु।



(पी.सी. जैन)

निदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग